

न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 95/2022(GCMS : 2022/141)

आवास फाईनेंसर्स लि., (Formerly known as AU Housing Finance Ltd.) पंजीकृत कार्यालय 201-202, Second Floor, Southend Square, Mansarovar Industrial Area, Jaipur शाखा कार्यालय नजदीक राजस्थान पत्रिका मार्ग, आईसीआईसीआई कम्पनी के ऊपर, शिव चौक, श्रीगंगानगर जरिये प्राधिकृत अधिकारी/एरिया कलैक्शन मैनेजर प्रेम कुमार पुत्र श्री सत्यनारायण

बनाम

1. नक्षत्र सिंह पुत्र श्री रूड़ सिंह निवासी वार्ड नं 11, बुधरवाली, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
2. वीरपाल कौर पत्नी श्री नक्षत्र सिंह निवासी वार्ड नं 11, बुधरवाली, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
3. सुखदेव सिंह पुत्र श्री तेजा सिंह निवासी वार्ड नं 11, बुधरवाली, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर



13.09.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने एक प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता श्री मनीष भारद्वाज ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 12.05.2022 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण नक्षत्र सिंह, वीरपाल कौर एवं सुखदेव सिंह को ऋण सुविधा के रूप में दिनांक 31.12.2017 को 3.50/- लाख रुपये एवं दिनांक 09.11.2019 को 82000/- के ऋण राशि की स्वीकृत प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी नक्षत्र सिंह द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति आवासीय भूखण्ड (पट्टा नं. 09) (क्षेत्रफल 403.71 वर्गमीटर), स्थित पुरानी आबादी, सादुलशहर श्रीगंगानगर, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण नक्षत्र सिंह, वीरपाल कौर एवं सुखदेव सिंह को दिनांक 31.12.2017 को 3.50/- लाख रुपये एवं दिनांक 09.11.2019 को 82000



जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

रूपये के ऋण राशि की स्वीकृति प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी नक्षत्र सिंह ने अपनी अचल सम्पत्ति आवासीय भूखण्ड (पट्टा नं. 09) (क्षेत्रफल 403.71 वर्गमीटर), स्थित पुरानी आबादी, सादुलशहर श्रीगंगानगर, प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक/कम्पनी के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 03.02.2022 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 09.02.2022 को जारी कर दिनांक 11.02.2022 को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये है जिसकी प्राप्ति के परिणामस्वरूप ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है तथा एक समाचार पत्र दैनिक नवज्योति में दिनांक 12.02.2022 को प्रकाशित करवाया गया है। जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील हो चुकी है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।


जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी नक्षत्र सिंह की अचल सम्पत्ति आवासीय भूखण्ड (पट्टा नं. 09) (क्षेत्रफल 403.71 वर्गमीटर), स्थित पुरानी आबादी, सादुलशहर श्रीगंगानगर, जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 09.02.2022 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 09.02.2022 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस अप्रार्थी को दिनांक 11.02.2022 को

ही रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अप्रार्थीगण के धारा 13(2) नोटिस प्राप्त के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है तथा एक समाचार पत्र दैनिक नवज्योति में दिनांक 12.02.2022 को प्रकाशित करवाया है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नहीं करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी नक्षत्र सिंह के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपत्तियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी आवास फाइनेंसर्स लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी नक्षत्र सिंह द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति आवासीय भूखण्ड (पट्टा नं. 09) (क्षेत्रफल 403.71 वर्गमीटर), स्थित पुरानी आबादी, सादुलशहर श्रीगंगानगर, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तर्तीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 13.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(अंशदीप)

जिला मजिस्ट्रेट

श्री गंगानगर